



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052022-235822
CG-DL-E-18052022-235822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2156]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944

No. 2156]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2275(अ).—केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन (तृतीय संशोधन) आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. इराक संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन आदेश, 2016 की अनुसूची के उपाबंध 2 में

(क) शीर्षक "क. व्यक्तियों" के अधीन प्रविष्टियों आईक्यूआई.075, आईक्यूआई.078 का लोप किया जाएगा;

(ख) शीर्षक "ख. निकाय और अन्य समूह" के अधीन प्रविष्टि आईक्यूआई.004 का भी लोप किया जाएगा।

[फा.सं.यू.॥/152/32/2015]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2272 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 1796 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2275(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, namely:—

1. (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq (Third Amendment) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Iraq Order, 2016, in the Schedule, in Annexure 2,-

(a) under the heading “A. Individuals”, the entries IQi.075 and IQi.078 shall be omitted;

(b) under the heading “B. Entities and other groups”, the entry IQe.004 shall be omitted.

[F. No. U.II/152/32/2015]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2272(E), dated the 1st July, 2016 and last amended *vide* notification number S.O. 1796 (E), dated the 12th April, 2022.